

संख्या- 23-विनि-23/राशि-99-12विनि/91 दिनांक 23 जनवरी, 1995

सिद्धान्त
विधि

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79(सी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा परिषद् के कार्यवाहियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में निम्न विनियम बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (परिषद् के कार्यवाहियों) का स्थायीकरण विनियम-1995

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ तथा लागू होना

- 1.1 ये विनियम उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् (परिषद्) के कार्यवाहियों का स्थायीकरण विनियम-1995 कहलायेंगे।
- 1.1.1 ये तत्काल प्रवृत्त होंगे।
- 1.1.1.1 ये ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे, जो परिषद् के कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किसी पद पर आतीन-हो-या-उसके विनियम निर्मात्री नियन्त्रण में हों।

2. अध्यारोही प्रभाव

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79(सी) के अधीन परिषद् द्वारा बनाये गये किसी विनियम पर परिषद् द्वारा जलका निमित्त किसी आदेश में कुछ भी अन्तर्गत होते हुए भी इन विनियमों के प्रावधान प्रभावी होंगे।

3. परिभाषा :-

जब तक विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षा न हो, इन विनियमों में :-

- 1.क। "एक्ट" का तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 से है।
- 1.ख। किसी भी सेवा या पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जो सतत सेवा विनियमों के अन्तर्गत या विनियमों के अभाव में, परिषद् द्वारा निमित्त किसी आदेश या अनुदेश के अन्तर्गत, ऐसे पद या सेवा में नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत हो।
- 1.ग। "परिषद्" का तात्पर्य एक्ट की धारा-5 के अधीन गठित उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् से है।



- घ। इन विनियमों के निमित्त "परिषदीय कर्मचारी" का तात्पर्य परिषद् की विनियम निमात्री शक्तियों के अधीन परिषद् के कार्य कक्षाओं के लिये किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्त व्यक्ति से है।
- ड। "धारणाधिकार" का तात्पर्य परिषद् के कर्मचारी द्वारा किसी नियुक्त पद को, चाहे वह स्थायी अथवा अस्थायी मौलिक रूप से तत्काल या अनुस्थिति की अवधि की समाप्ति पर धारण करने के अधिकार या टाइटिल से है।
- च। "विहित" का तात्पर्य परिषद् द्वारा एक्ट की धारा 79।सी। के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा, या विनियमों के अभाव में परिषद् द्वारा समय-समय पर किसी सेवा-या पद विशेष के संदर्भ में निर्गत अधिशासी आदेशों द्वारा विहित से है।
- छ। "सेवा" का तात्पर्य वही होगा जो परिषद् द्वारा एक्ट की धारा 79।सी। के अधीन सुसंगत विनियमों में परिभाषित है या विनियमों के अभाव में जो परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये अधिशासी आदेशों एवं अनुदेशों में परिभाषित है।
- ज। "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ न होकर सेवा के संदर्भ में किसी पद पर सुसंगत विनियमों के अन्तर्गत किये गये चयन उपरान्त की गई हो तथा यदि इस सम्बन्ध में कोई विनियम न हो तो परिषद् द्वारा तत्समय निर्गत किये गये अधिशासी आदेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

4. परिषदीय कर्मचारी का स्थायीकरण

- 1। परिषद् के किसी कर्मचारी को केवल उसी पद पर स्थायी न किया जायेगा जिस पद पर उसकी नियुक्ति :-
- 1। सीधी भर्ती द्वारा या
- 1। पदोन्नति द्वारा, यदि उस पद पर भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती भी हो या
- 1। पदोन्नति द्वारा, यदि वह पद किसी भिन्न सेवा का हो, मौलिक रूप से की गई हो।
- 2। ऐसे स्थायीकरण -
- 1। ऐसे पद पर, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, जिस पर कोई दूसरा व्यक्ति धारणाधिकार न रखता हो, किया जायेगा;
- 1। परिषद् द्वारा बनाये गये सुसंगत विनियमों व जारी किये गये अधिशासी आदेशों व अनुदेशों, जैसी भी स्थिति हो, में दी गई स्थायीकरण की शर्तों को पुरा किये जाने की शर्तों से प्रतिबन्धित होगा;
- 1। स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत करना आवश्यक होगा।

10/12/2019



इस शर्त के होते हुए भी कि पारिषदीय कर्मचारी अन्य कहीं स्थायी नियुक्ति प्राप्त कर चुका है, यदि किसी पद पर उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाती है, या किसी ऐसे पद पर पदोन्नति की जाती है जिसे भरने के लिये सीधी भर्ती, भर्ती का स्रोत है, तो उसे ऐसे पद पर भी स्थायी किया जाएगा।

- 131 इन विनियमों के प्रारम्भ होने के दिनांक को, पदधारकों के स्थायीकरण के मामलों को जो विचाराधीन थे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तथा तक्षम प्राधिकारी द्वारा पदधारक को स्थायीकरण हेतु उपयुक्त पाये जाने की दशा में, उसके स्थायीकरण के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे यदि इन विनियमों के विनियम 4111 के अन्तर्गत ऐसे आदेश निर्गत करना आवश्यक हो, या जहाँ ऐसे आदेश निर्गत न करने से पदधारक की वरिष्ठता प्रभावित होती हो।

5. स्थायीकरण जहाँ आवश्यक नहीं है

- 111 यदि परिषद का कोई कर्मचारी नियमित आधार पर सभी विहित प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए किसी पद पर ऐसे वर्ग में पदोन्नति किया जाय जिसमें पदोन्नति ही एक मात्र भर्ती का स्रोत हो, तो उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं है।

- 121 उप-विनियम 111 में संदर्भित पद पर पदोन्नति होने पर परिषद के कर्मचारी को वे सभी लाभ अनुमन्य होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी व्यक्ति को मिलते यदि कोई परीक्षा विहित न की गई होती।

- 131 जहाँ परीक्षा विहित की गई है, नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा अवधि पूरी हो जाने पर परिषद के कर्मचारी के कार्य एवं अचरण का स्वयं आकलन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह पारिषदीय कर्मचारी उच्च पद या श्रेणी को धारण करने के योग्य है तो वह इस आशय का आदेश निर्गत करेगा कि उस व्यक्ति ने परीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। यदि नियुक्ति अधिकारी का यह विचार है कि सम्बन्धित पारिषदीय कर्मचारी का कार्य एवं अचरण संतोषजनक नहीं रहा है या इस पर अभी कुछ समय और निगरानी रखना आवश्यक हो तो वह उसकी पदोन्नति उस पद या श्रेणी पर, कर सकता है जिससे उसे पदोन्नति किया गया या या परीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा सकता है।

- 141 ऐसे मामलों में जहाँ उच्च पद या श्रेणी में पदोन्नति के लिये निम्न पोषक पद पर स्थायी होना एक आवश्यक शर्त विहित की गई हो वहाँ विनियम-4 के उप-विनियम 111 के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी किया गया व्यक्ति उच्च पद पर पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का पात्र होगा और उसका निचले पोषक पद पर स्थायी होना आवश्यक न होगा।

.....4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

दृष्टान्त
=====

- 111 3090 राज्य विद्युत परिषद, लिपिकीय अधिष्ठान। मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय। विनियम-1970 में ट्रेसर का पद, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता में से प्रत्येक के कार्यालय में पूर्ण रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में "क" की नियुक्ति ट्रेसर के पद पर सीधी भर्ती द्वारा की जाती है; अतः "क" को विनियम 411 के अन्तर्गत ट्रेसर के पद पर स्थायी करना होगा।
- 121 3090 राज्य विद्युत परिषद के लेखा अधिष्ठान में लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत "क" एक स्थायी लेखाकार है। सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर लेखा अधिकारी सेवा विनियमावली-1984 के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी के पद पर "क" का पुनः स्थायीकरण करना होगा, क्योंकि सहायक लेखाधिकारी का पद भिन्न सेवा का पद है।
- 131 "ख" परिषद का एक कर्मचारी है जो 3090 रांविप 30 अवर अभियन्ता विद्युत एवं यन्त्रों, "सेवा", के अधीन अवर अभियन्ता के पद पर स्थायी है। अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1970 के उपबन्धों के अधीन सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति होने के पक्षस्वरूप "ख" को विनियम 411 के अधीन सहायक अभियन्ता के पद पर पुनः स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियन्ता पर भर्ती के स्रोतों में सीधी भर्ती भी एक स्रोत है।
- 141 "ग" 3090 राज्य विद्युत परिषद में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है। 3090 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1970 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नतता किये जाने पर "ग" को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पुनः स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति ही है।
- 151 3090 राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय जो इसका सचिवालय है में प्रवर वर्ग सहायक का पद 3090 राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय लिपिकीय सेवा का पद है। उसी प्रकार 3090 राज्य विद्युत परिषद के मुख्यालय पर अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात् 3090 राज्य विद्युत परिषद सचिवालय अधिकारी सेवा, का पद है। "घ" जो स्थायी प्रवर वर्ग सहायक है को अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनः स्थायी करना होगा। अतः उसी सेवा में अनु-सचिव एवं अन्य उच्च पदों पर पदोन्नति होने पर उसका मामला विनियम 511 से विनियमित होगा और "घ" को उच्च पदों पर स्थायी नहीं करना होगा।
- 161 3090 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1970 के अधीन केवल स्थायी अधिशासी अभियन्ता ही अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का पात्र है। सेवा विनियमावली के उपरोक्त उपबन्ध इस विनियमावली के विनियम-5 के उप-विनियम 141 के अधीन उस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे कि इसी पदोन्नति हेतु पात्रता के लिये स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा।

.....5



नियम व पद किन पर ये विनियम लागू नहीं होंगे

ये विनियम उन नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो किसी ऐसे पद के विरुद्ध ऐसे अधिकार के अन्तर्गत की जाय जो किसी नियुक्ति के पूर्ण रूप से अस्थायी अधिकार के लिये हों जैसे कमेटी, जांच आयोग, ऐसे संस्थान जिनका गठन किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिये किया जाय व जिसका कार्य काल मात्र कुछ वर्षों से अधिक चलने की सम्भावना न हो, ऐसे पद जो निश्चित कार्यकाल के लिये परियोजनाओं में सुजित किये जाते हों, यद्यपि पूर्ण रूप से अस्थायी अधिकार के हों।

8. धारणाधिकार बचाये रखने का अधिकार

परिषद् के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो विनियम में उपर विनियम 111 के अन्तर्गत किसी पद पर स्थायी किया गया हो, या जो किसी उच्च पद पर पदोन्नति कर दिया गया हो और विनियम 111 के अन्तर्गत विनियम 131 के अधीन यह घोषित किया गया हो कि उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर ली है, या जो नियमित आधार पर किसी ऐसे उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो जिस पर कोई परीक्षा विहित न हो ऐसी भी दृष्ट हो, पर्याप्त स्थिति यह मान लिया जायगा कि इस पद पर उसका धारणाधिकार है।

9. नोट

इन विनियमों की कोई भी बात परिषद् द्वारा स्थायी रूप से जारी आदेशों द्वारा भी अनुचित प्राप्ति, अनुचित का प्रारम्भ न हो, व्यक्ति के व्यक्तियों के सम्बन्ध में दी जाने वाली और अन्य व्यक्तिगतों को प्रभावित नहीं करेगा।

परिषद् की आज्ञा से,


परिषद् की
सचिव



33.1.11 विनि-23/राविप-95-12 विनि/91 तददिनांक

प्रतिलिपि, अधीक्षक, मुख्य एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त विज्ञापित को उ०प्र० शासन के गजट के आगामी संस्करण में प्रकाशित करा दें।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

रस०पी० श्रीवास्तव

उप-सचिव

वि०

सं०- 33.1.11 विनि-23/राविप-95-12 विनि/91 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक बापेंवाही हेतु

प्रेषित :-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/111, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
2. समस्त महा-प्रबन्धक/उप-महाप्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
3. सभापति, जांच समिति, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
4. सभापति, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
7. समस्त अधिकारी, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
8. समस्त नियंत्रक, लेखा स्कन्ध/मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक, आन्तरिक समुदाय/उप-मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
9. समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
10. बैठक सहायक।
11. उर्जा 12। अनुभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

रस०पी० श्रीवास्तव

उप-सचिव

(हस्ताक्षर)